

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2022/176

दिनांक :- 30.3.2022


मुकदमा नंबर 314ए/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. नरपतराम पुत्र वगताराम 2. किशनाराम पुत्र वगताराम 3. बुधकी पत्नी वगताराम 4. गुडिया पुत्री वगताराम 5. हीरालाल पुत्र सोनाराम 6. बाबुलाल पुत्र सोनाराम 7. कालूराम पुत्र सोनाराम 8. सुआदेवी पत्नी सोनाराम 9. गौनाराम पुत्र पुरखाराम 10. घिसाराम पुत्र उर्जाराम 11. भीखराम पुत्र उर्जाराम 12. खुशालाराम पुत्र उर्जाराम 13. चंदाराम पुत्र उर्जाराम 14. राजूराम पुत्र उर्जाराम 15. लूणाराम पुत्र भेराराम 16. गंगाराम पुत्र गुणेशाराम 17. मृतक मांगीलाल पुत्र खेताराम केका0 मु0 17/1 खीमाराम पुत्र मांगीलाल 17/2 अमराराम पुत्र मांगीलाल सभी जातियान मेगवाल निवासीयान कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर । 		<ol style="list-style-type: none"> 1. ढलाराम पुत्र नरसिंगाराम 2. मोहनराम पुत्र नरसिंगाराम 3. दमाराम पुत्र नरसिंगाराम 4. भीयाराम पुत्र गेंपरराम 5. नरपतराम पुत्र गेनाराम सभी जातियान मेगवाल 6. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल 7. प्रभूराम पुत्र राणाराम 8. शैतानराम पुत्र राणाराम 9. लीला पत्नी राणाराम 10. भेराराम पुत्र गोगाराम सभी जातियान ग्वारिया निवासी कल्याणपुर तह0 कल्याणपुर 11. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) कल्याणपुर

आदेश

दिनांक :- 30.03.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कल्याणपुर पटवार हल्का क्षेत्र कल्याणपुर भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 247 रकबा 138 बीघा वर्तमान खतौनी में दर्ज नये खसरा संख्या 924/247, 1371/247, 1372/247, 1373/247, 1374/247, 1375/247, 1376/247, 1377/247 विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से


(नरेश सोनी)
आर.ए.एस.
बालोतरा



बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेशा सीनी)
उपखण्ड अधिकारी,
नेखबन्दी अधिकारी

बालोतरा

दिनांक :- 30/3/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 177

1. तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें

(नरेशा सीनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा